

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

Rs.10



IA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

शपथ पत्र

22AA 902952

समक्ष— रिटर्निंग आफिसर 01 टिहरी संसदीय क्षेत्र, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैं, श्री जौहरी लाल, पुत्र श्री बैशाखू लाल, आयु 58 वर्ष, निवासी-77/129
भगत सिंह कालोनी, अघोईवाला, देहरादून एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक एवं
ईमानदारी से तथ्यों का उल्लेख एवं घोषणा करता हूँ:-

यह कि मैं 01 टिहरी की लोकसभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/
उप निर्वाचन में 01 टिहरी संसदीय/विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने
वाला अभ्यर्थी था जिसका परिणाम दिनांक 16.05.2014 को घोषित किया
गया था।

2. यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक 19.04.2014 (वह तारीख
जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की
तारीख, दोनो दिन को सम्मिलित करते हुये, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन
अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत
सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।

3. यह कि उक्त लेखा, रिटर्निक अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर इस लेखा में उल्लिखित वाउचर/बिल के साथ संलग्न है।
4. यह कि निर्वाचन के सम्बन्ध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे मे मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रयोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के सम्बन्ध में किए गए व्यय को छोड़कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।

यह कि निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त लेखा के संलग्नक II में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रयोजित करने वाले राजनैतिक दल/अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायो एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल है।

5. यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।


अभिसाक्षी



मेरे समक्ष दिनांक 13.06.2014 को जौहरीलाल सुमन, प्रत्याशी 01 टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गयी)

(सांक्ष्याकन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी प्रब्लिकर के हस्ताक्षर तथा मुहर)

प्रब्लिकर के हस्ताक्षर तथा मुहर


Rajender Singh Negi
Advocate
Dehra Dun
Uttarakhand



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

शपथपत्र

22AA 902951

समक्ष-रिटर्निंग ऑफिसर 01 लोक सभा टिहरी गढ़वाल

शपथपत्र-जौहरी लाल सुमन (मुनि) पुत्र स्व0 बैशाखू लाल
निवासी-77/129 भगत सिंह कालोनी तथा अधोईवाला देहरादून।

.....शपथकर्ता

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता है :-

यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम पता सही व सत्य है।

यह कि शपथकर्ता 16वीं लोकसभा सदस्यता निर्वाचन के लिए 01 टिहरी
लोकसभा क्षेत्र से भारतीय मूलनिवासी समाज पार्टी का प्रत्याशी था।

यह कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले
अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव
के लिये दिये गये रजिस्टर के भाग क, ख व ग में जो अंकन किया
गया है वह सही व सत्य है।

4. यह कि उक्त रजिस्टर के भाग क में जो कटिंग की गई है, वह अभ्यर्थी
के अभिकर्ता द्वारा की गई, त्रुटी के कारण हुई है। क्योंकि चुनाव प्रचार
के दौरान शपथकर्ता/अभ्यर्थी दुर्गम क्षेत्रों में प्रचार में व्यस्त रहने के
कारण अपने अभिकर्ता को समय पर पूर्ण जानकारी नहीं दे पाया था।

...2


ns



9 JUN 2014

5. यह कि उक्त रजिस्टर के तीनों भागों में गलत भरे गये पृष्ठों को निरस्त कर नये पृष्ठों पर सही जानकारी दी गई है और किसी अपराधिक कृत्य को छिपाने के लिये कोई कटिंग/ओवर राईटिंग नहीं की गई है।
 6. यह कि शपथकर्ता/अभ्यर्थी को आम जनता द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान ही कुछ चन्दा दिया गया है। जिसे तुरन्त की आवश्यकता के चलते निर्वाचन खाता में जमा नहीं किया जा सका।
 7. यह कि शपथकर्ता/प्रत्याशी द्वारा लिये गये पेन्शन लोन का पेन्शन के खाते में ही जमा किया जाना प्राविधानित था और ऋण राशि को निर्वाचन खाते में जमा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि निर्वाचन खाता स०-32549912094 न तो ए०टी०एम० जारी किया गया था न ही प्रत्येक व्यक्ति बैंक में कीमत लेना स्वीकार करता है।
 8. यह कि चुनाव प्रचार में लगे कार्यकर्ताओं द्वारा ढावों/ठेलियों में खाना-चाय-नाश्ता खाया गया है। जिन्होंने कहीं से भी रसीद लाकर शपथकर्ता के पास जमा नहीं की।
 9. यह कि डीजल-पेट्रोल की कुछ रसीदें खो गई हैं और अति दुर्गम क्षेत्रों में दुकानदारों से भी डीजल-पेट्रोल खरीदा गया है। जिसकी रसीदें नहीं हैं तथा कुछ रसीदें रजिस्टर में संलग्न हैं।
- यह कि उपरोक्त कारणों के आधार पर शपथकर्ता/अभ्यर्थी का चुनाव खर्च रजिस्टर स्वीकृत व जमा किया जाना स्वस्थ लोकतन्त्र व न्यायहित में आवश्यक है।




 शपथकर्ता

सत्यापन—

मैं उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक 12.06.2014 को स्थान देहरादून में पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की चरण सं० 1 ता 10 मेरे निजी ज्ञान में सत्य एवं सही है।


.....शपथकर्ता

This affidavit is sworn before me by
Shri. 
who is identified by me
at Dehradun


(Rajender Singh Negi)
Advocate & NOTARY Dehradun

भाग—

शपथ-पत्र का प्रारूप

.....जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (जिला, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र)

श्री/श्रीमती/सुश्री.....सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....आयु.....वर्ष

निवासी एतद्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ :-

- (1) यह कि मैं की लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिसका परिणाम को घोषित किया गया था ।
- (2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक !..... (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है ।
- (3) यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित वाउचर/बिल के साथ संलग्न है ।
- (4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़ कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है ।
- (5) यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक-11 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/ अन्य संगठन/ मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं ।
- (6) यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी


मेरे समक्ष 201 के इस दिन मैं द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई)

(साक्ष्यांकन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मुहर)

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण	
भाग- I	
अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी श्री/श्रीमती/कुमारी श्री/श्रीमती/कुमारी (उत्तरी)
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	01 टिंडरी लोकसभा
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उत्तराखण्ड
निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन का उल्लेख करें)	सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2014
परिणाम घोषणा की तारीख	16/05/2014
निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता	के.बी. सिंह चौधरी 129 वाणी विहार देहरादून
यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें	भारतीय जनता पार्टी समाज पार्टी
क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?	हाँ/नहीं

दिनांक : 12 06 2014

स्थान : देहरादून


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी) (उत्तरी)

भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय (रूपये में)	राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रूपये में)	अन्यों द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रूपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (स्तम्भ 3, 4 एवं 5 का जोड़)
1	2	3	4	5	6
I	जन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय I क : जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात् : राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक सहित होने वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 1 के अनुसार संलग्न करें)	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	I ख : स्टार प्रचारक (कों) के साथ जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात् : साधारण पार्टी प्रचार वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 2 के अनुसार संलग्न करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II	क्रम संख्या - I में उल्लिखित जन सभाओं, रैलियों जुलूस इत्यादि में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2
04

	प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुबंध 3 के अनुसार संलग्न करें)	पोस्टर + प्रयुक्त + एडवर्टीसिंग 30000/=	शून्य	एडवर्टीसिंग - शून्य	30000/=
III	केबल नेटवर्क, बल्क एस एम एस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें)	वाहन नं. 1180 7B-8764 21222 गा. पं. 12300 रु.	शून्य	वाहन नं. UP 32 AT- 0160 ALPO 7000/	25300/=
V	प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)	कार्यकर्ताओं के मोटर-वाहन व्यय का 50000/	शून्य	22000/	72300
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय	12500/	शून्य	शून्य	12500
	कुल योग				140100/-

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	50000/
II	पार्टी (टिप्पणियों) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के	15000/

n
am

	अनुसार संलग्न करें)	
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	500000/- 350000/-
	कुल	1,300000/-

n
ay

पावती प्रपत्र

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी

० डिप्टी ससयुक्त
क्षेत्र

महोदय,

मैं अपने निर्वाचन व्यय के लेखा के रख-रखाव के लिए अन्य दस्तावेजों सहित.....
क्रम सं० वाले रजिस्टर तथा इसके अनुलग्नकों सहित आपके दिनांकके पत्र संख्या
.....की पावती देता हूँ।

2. मैंने निर्वाचन व्ययों के लेखे के रख-रखाव और उस लेखे की सत्य प्रति और निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधि की अपेक्षाओं को नोट कर लिया है।

भवदीय,

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित)

*जो लागू न हो, उसे काट दें :-

पावती (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

.....(निर्वाचन क्षेत्र) के परिणाम, जो(तिथि) को घोषित किया गया था, के संबंध में निर्वाचन व्ययों
का लेखा.....(तिथि) को उनकी ओर से उनके द्वारा दाखिल किया गया था, मैंने आज(वर्ष)
के.....(महीने) केदिनांक को प्राप्त किया।

जिला

जिला निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय मुहर

अनुसूचियां- 1 से 9 : निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण

अनुसूची-1					
जनसभा/रैली/जुलूस आदि (अर्थात राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक के साथ से अन्य) में व्यय					
क्रम सं०	व्यय का स्वरूप	कुल धन राशि, रुपये में	व्यय के स्रोत		
			अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा उपगत/अधिकृत राशि	राजनैतिक दलों के नाम सहित उपगत राशि	अन्यों के द्वारा उपगत राशि
1	2	3	4	5	6
1	आगंतुकों के परिवहन के लिए वाहन	NIL	NIL	NIL	NIL
2	मंच, पंडाल एवं फर्नीचर, फिक्सचर, पोल आदि तैयार करना	NIL	NIL	NIL	NIL
3	तोरण एवं बैरिकेड आदि	NIL	NIL	NIL	NIL
4	फूल/माला	NIL	NIL	NIL	NIL
5	लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलिफायर, मिलानकर्ता आदि भाड़े पर लेना	लाउडस्पीकर प्रलापी का अपना या ऑडिओमैल अपूर्ण अपना गी	NIL	NIL	NIL
6	पोस्टर, हैंडबिल, पैम्पलैट, बैनर, कट आउट, होर्डिंग	029000/-	NIL	NIL	NIL
7	पेय जैसे चाय, पानी, कोल्डड्रिंक जूस आदि	NIL	NIL	NIL	NIL
8	डिजिटल टी वी- बोर्ड डिसप्ले, प्रोजेक्टर डिसप्ले, टिकर बोर्ड, 3डी डिसप्ले	NIL	NIL	NIL	NIL

1	2	3	4	5
1	RM	RM	RM	RM
2	RM	RM	RM	RM
3	RM	RM	RM	RM
4	RM	RM	RM	RM
कुल	RM	RM	RM	RM

अनुसूची-3

अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए प्रचार सामग्री जैसे हैंड बिल, पैम्पलैट्स, पोस्टरों, होर्डिंग, बैनरों, कट आउट्स, गेट एवं आर्च, वीडियो एवं ऑडियो कैंसट्स, सी.डी./डी.वी.डी., लाऊड स्पीकरों, एम्पलिफायरों, डिजिटल टी.वी./बोर्ड डिसप्ले, 3 डी डिसप्ले आदि पर व्यय का विवरण (अर्थात : अनुसूची -1 एवं 2 में शामिल के अलावा)

क्रम सं०	व्ययों का स्वरूप	कुल धन राशि, रुपये में	व्यय के स्रोत			टिप्पणी, यदि कोई हो
			अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्यों द्वारा राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	RM	पोस्टर, प्रमोशनल वीडियो 290000	RM	RM	RM	RM
2	RM	RM	RM	RM	RM	RM
3	RM	RM	RM	RM	RM	RM
4	RM	RM	RM	RM	RM	RM
कुल	RM	0290000/-	RM	RM	RM	RM

अनुसूची-4

केबल नेटवर्क, थोक एस एम एस या इन्टरनेट या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अभ्यर्थी के लिए प्रचार

पर व्यय का विवरण

क्रम सं०	माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट) और अवधि का स्वरूप	मीडिया प्रदाता का नाम व पता (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक / एस एम एस / वाईस / केबल टी.बी, सोशल मीडिया आदि)	एजेंसी, रिपोर्टर, स्ट्रिन्जर, कम्पनी या कोई व्यक्ति जिसको भुगतान किया / देय हो का नाम एवं पता, यदि कोई हो	कुल धन राशि, रुपये में स्तम्भ (3)+(4)	व्यय के स्रोत		
					अभ्यर्थी / एजेंट द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्यों द्वारा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
3	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
4	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
कुल							

1		प्रचार कार्यकर्ताओं के मानदेय/वेतन इत्यादि	MM	MM	MM	MM	MM	MM
2	22	भोजन की व्यवस्था	दा. 200 610	50000 कागज	-	कमाली	-	-
3		रहने की व्यवस्था	MM	MM	MM	MM	MM	MM
4	2	अन्य	MM	MM	MM	MM	MM	MM

कुल 22

अनुसूची-7

निर्वाचन प्रचारण के प्रयोग में लाई गई स्वयं की निधि का विवरण

क्रम सं०	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सं० आदि	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	16/10/14	16/10/14 50000	बैंक का 72277 - 15000 डीडी शर्मा बैंक का 91392 - कुल राशि	15000/=	
2				50000/=	
3					
4					

कुल

अनुसूची-8

पार्टी (यों) से प्राप्त नकदी या चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा कुल धन राशि का विवरण

क्रम सं०	राजनैतिक दलों के नाम	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सं० आदि	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

Signature

1							
2							
3							
4							
कुल							

अनुसूची-9

किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघ/व्यक्तियों के निकाय इत्यादि द्वारा कर्ज, उपहार या दान आदि के रूप में प्राप्त कुल धन राशि का विवरण

क्रम सं०	नाम एवं पता	दिनांक	नकद	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सं० आदि	यदि कर्ज उपहार या दान आदि का विवरण	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आनंजना	16/11/14 6/5/14	35000	आनंजना डी.एस. नकद किरागना पी. नो. 1/14/14	डी.एस. नकद पेन्शनकारी विभाग	50000	
2							
3							
4							
कुल						35000 + 15000 = 50000	50000

ध्यान दें :-

1. अनुसूची 5 में :-

(क) आदेश की प्रति जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किए गए हैं, संलग्न की जानी है।

(ख) यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/एजेंट का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किराए पर लेने का कल्पित किराया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अभ्यर्थी का है और

उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईधन का कल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन, उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।

2. सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा; या किसी व्यक्ति/कम्पनी/कर्म/संघों/व्यक्ति निकाय आदि द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष पर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का कल्पित किराया ऊपर दिए संबंधित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए।

3. भाग-III में, राजनैतिक दल या अन्यो से प्राप्त निधि तथा अभ्यर्थी की स्वयं की कुल धन-राशि का तिथिवार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए।

4. सार विवरणी का प्रत्येक पृष्ठ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

